



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2010/अग्रहायण 3, 1932

No. 308]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2010/AGRAHAYANA 3, 1932

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010
(2010 का 05)

फा. सं. 116-1/2010-एमएन.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i), (iii) और (v) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) के विनियम 1 के उप-विनियम (2) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) इन विनियमों के विनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 हरियाणा सेवा क्षेत्र में 25 नवम्बर, 2010 को प्रवृत्त होंगे ;

परन्तु यह कि इन विनियमों के विनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 विभिन्न सेवा क्षेत्रों में उस प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसाकि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।”

2. प्रधान विनियमों के विनियम 10 में, जहां कहीं भी “चौबीस घंटे” शब्द आते हैं, उनके स्थान पर, “चार कार्य-दिवस” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

सुधीर गुप्ता, प्रधान सलाहकार (मोबाइल नेटवर्क)

[विज्ञापन III/4/142/2010/असा.]

टिप्पणी 1 : प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 116-4/2009-एमएन (खंड II) दिनांक 23 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा इसमें निम्नानुसार संशोधन किया गया :

(i) अधिसूचना सं. 116-1/2010 दिनांक 28 जनवरी, 2010 (2010 का 1)

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 23 सितम्बर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किए थे जिनमें देश में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन के लिए बुनियादी कारबार प्रक्रिया ढांचा निर्धारित किया गया था। इन विनियमों के विनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 से क्रियान्वित किए जाने अपेक्षित थे।

2. उस समय पर प्रचालकों की तैयारियों पर विचार करते हुए सरकार ने सभी सर्किलों के लिए इन विनियमों के क्रियान्वयन के लिए

समय को 31 दिसम्बर, 2009 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2010 कर दिया था। तदनुसार भादूविप्रा ने दिनांक 28 जनवरी, 2010 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का 1) जारी किए थे। लेकिन, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तैयारियों के पूर्ण न होने के कारण, दूरसंचार विभाग ने एमएनपी के क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा को समय-समय पर आगे बढ़ाया गया है।

3. हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की है कि एमएनपी सेवाएं हरियाणा अनुज्ञप्तिप्राप्त सेवा क्षेत्र में 25 नवम्बर, 2010 से आरंभ होंगी। अतः विनियमों में संशोधन आवश्यक हो गया है।

4. सुरक्षा कारणों का उल्लेख करते हुए दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए अनुरोध के कारण प्रधान विनियमों के विनियम 10 में दाता प्रचालक के लिए समय-सीमा में आशोधन (24 घंटे के स्थान पर 4 कार्य-दिवस) आवश्यक हो गया है। प्रधान विनियमों में इस संशोधन के साथ ही, जम्मू-कश्मीर, असम, तथा पूर्वोत्तर के अनुज्ञप्तिप्राप्त सेवा क्षेत्रों को छोड़कर पोर्टिंग की समयावधि सात कार्यदिवस हो जाएगी। जम्मू-कश्मीर, असम तथा पूर्वोत्तर के अनुज्ञप्तिप्राप्त सेवा क्षेत्रों में पोर्टिंग की अधिकतम समयावधि पंद्रह कार्यदिवस हो जाएगी।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th November, 2010

**Telecommunication Mobile Number Portability
(Second Amendment) Regulations, 2010
(05 of 2010)**

F. No. 116-1/2010-MN.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36, read with sub-clauses (i), (iii) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), namely :—

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability (Second Amendment) Regulations, 2010.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette

(3) In sub-regulation (2) of regulation 1 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), (hereinafter referred to as the principal regulations) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) Regulations 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 of these regulations shall come into force in Haryana service areas on the 25th November, 2010 :

Provided that regulations 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 of these regulations shall come into force in different service areas, as may be specified by direction issued by the Authority, from time to time."

2. In regulation 10 of the principal regulations, for the words "twenty four hours", wherever appearing, the words "four working days" shall be substituted.

SUDHIR GUPTA, Principal Advisor (Mobile Network)

[ADVT III/4/142/2010/Exty.]

Note 1 :—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification No. 116-4/2009-MN (Vol. II) dated 23rd September, 2009 and amended *vide* :

(i) Notification No. 116-1/2010 dated 28th January, 2010 (1 of 2010)

Note 2 :—The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of these regulations.

Explanatory Memorandum

The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) dated 23rd September, 2009 laying down the basic business process framework for implementation of mobile number portability in the country. Regulations 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 of these regulations were required to be implemented on 31st December, 2009.

2. The Government extended the time for implementation of these regulations from 31st December, 2009 to 31st March, 2010, for all circles considering the preparedness of operators at that time. Accordingly, TRAI issued the Telecommunications Mobile Number Portability (Amendment) Regulations, 2010 (1 of 2010) dated 28th January, 2010. However, due to the non-preparedness of the Telecom Service Providers, DoT further extended the timeframe for implementation of MNP from time to time.

3. Recently Government has announced that the MNP services would start in Haryana Licensed Service Area on 25th November, 2010. This has necessitated amending the regulations.

4. The modification in the timelines (from 24 hrs to 4 working days) for Donor operator in the regulation 10 of the principal regulations has been necessitated due to the request by DoT citing security reasons. With this amendment to the principal Regulation, the maximum time period for porting would become seven working days except in Jammu & Kashmir, Assam and North East licenced service areas, wherein it would be 15 working days.